[illegible] मुण्डावर (खैरथल-[illegible]

13/01/26 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित।
[illegible]
[illegible] जाता है कि [illegible]
जाकर पत्रावली [illegible]
[illegible] पत्रावली
[illegible]

सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(फा0श्रे0)
[illegible]तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
110 / 2024	27.05.2024	13.01.2026

बउनवान

1. सचिन कुमार पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: वादी

बनाम

1. महासिंह पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी बडली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. अमरसिंह पुत्र मूसला जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. जोगेन्द्र पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
4. भूपेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
5. श्योराम पुत्र श्री बुधा जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. संतरा पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
7. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

श्री सीताराम चौधरी :– वकील वादी
श्री अशोक चौधरी :– वकील प्रतिवादी

दावा –: अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
111 / 2024	27.05.2024	13.01.2026

बउनवान

1. अमरसिंह पुत्र मूसला जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।

सहायक कलक्टर (फा...)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. श्योराम पुत्र बुद्वा पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: वादी

बनाम

1. महासिंह पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी बडली की ढाणी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. आशा पुत्री सुरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. उपेन्द्र पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी नांगल बावला तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. जोगिन्द्र पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
5. दिनेश सिंह पुत्र सूरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. धनसिंह पुत्र सूरजसिंह जाति जाट निवासी खण्डेवला तह0 फरूखनगर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. भूपेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तह0 फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
8. मोहनलाल पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी नांगल बावला तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. राजेन्द्र पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी नांगल बावला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. लहरी पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. सन्तरा पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
12. सुनिता पुत्र सूरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
13. सरबती पत्नी सुरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
14. साधू पुत्र रामेदवा जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. मातादीन पुत्र मूसला जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
16. सचिन कुमार पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
18. श्रीमान उप पंजियक महोदय, उप पंजियक मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

दावा —: अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

श्री सीताराम चौधरी
श्री रामावतार चौधरी, श्री अशोक चौधरी

दावा तकासमा मय हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188

वाद पत्र बअनुवान सचिन बनाम महासिंह का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 93 रकबा 1.40 है0, वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन वादी और प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त सामलाती खातेदारी की आराजी है, मौके पर सामलात में काबिज है काश्त कर रहे है, राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी दर्ज है।
3. यह है कि मिन वादी सीधा सज्जन व्यक्ति है प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आयी हुयी है जो मिन वादी को सामलाती आराजी के उपयोग और उपभोग में बाधा डालते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते है मिन वादी को अपने हिस्से से बेदखल करने की धमकी दे रहे है, तथा मिन वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन निर्माण कार्य करने व उक्त आराजी का बिना विधिक बंटवारा कराये दिगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल करने की धमकी दे रहे है इसलिये सामलात में काश्त करना नामुमकिन हो रहा है, और मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है जिनकी रक्षार्थ हेतू मिन वादी अपने खातेदारी के हिस्से को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी है। जिस हेतू दावा तकासमा पेश करना लाजिमी आया है।
4. यह है कि प्रतिवादीगण साज बाज होकर उक्त विवादित आराजी के सामलाती हिस्से को दीगर लोगो को विशिष्ठ हिस्सा बेचान करने के बाद अच्छी अच्छी आराजी पर निर्माण करने पर उतारू हो रहे है जबकि सामलाती आराजी पर हर कोसेयर का हर इंच इंच पर कब्जा माना जाता है। इसलिये मिन वादी प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है। इसलिये प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी के इस अमर से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी को बिना तकासमा कराये कहीं दीगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे मिन वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा ना करे राजस्व रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। जिस हेतू दावा तकासमा मय हु० ई० दवामी पेश करना आवश्यक आया है।
5. यह है कि मिन वादी दिनांक 20/05/2024 को अपने सामलाती हिस्से पर काश्त कार्य कर रहा था तो प्रतिवादीगण ने आकर धमकी दी कि हम उक्त आराजी का बेचान करेगें और निर्माण करेगें बस यही तारीख बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिमी आया है।

सहायक कलेक्टर (फा०ट्र०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

6. यह है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं० 7 व 8 को दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन दावा अरजेन्ट नेचर का होने के कारण समय नोटिस का नहीं रहा इसलिये बिना नोटिस ही दावा पेश किया जा रहा है। ईजाजत प्रार्थना पत्र दफा 80 (2) जाप्ता दिवानी संलग्न वाद पत्र है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।
(अ) यह करार दिया जावे कि आराजी ख० नं० हाल 93 रकबा 1.40 हैक0, वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित आराजी का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बाद कुरेजात के तकासमा किया जाकर अलग से नम्बर कायम कर मिन वादीगण को दखल दिलाया जावे एवं इस अमर की फाईनल डिकी जारी की जावे। आदेश दिये जावे।

(ब) यह करार दिया जावे कि प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी ख० नं० हाल 93 रकबा 1.40 हैक०, वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित आराजी को दीगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे तथा खुर्द बुर्द ना करे तथा मिन वादी के काश्त कार्य में बाधा ना पहुंचावे ना निर्माण करे तथा प्रतिवादी सं० 7 व 8 को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी से संबंधित कोई दस्तावेज तस्दीक व पंजीबद्व ना करे रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे।

(स) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित आकर इकबाल जबाव दावा पेश किया गया।

वाद पत्र बअनुवान अमरसिंह बनाम महासिंह का सार इस प्रकार है कि
1. यह है कि आराजी हाल ख0नम्बर 92 रकबा 0.35 है0, व ख0 न0 76 रकबा 0.30 है0, व ख0 न0 93 रकबा 1.43 है0, वाके ग्राम बडली तह0 मुण्डावर जिला अलवर, हाल जिला खैरथल तिजारा, राज० में स्थित है, जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। मुलाहिजा हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी हाल ख०नम्बर 92 रकबा 0.35 है0, व ख0 न0 76 रकबा 0.30 है0, व 93 रकबा 1.43 है0, में मिन वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ल0 16 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिर्कोड है तथा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ल0 16 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है, लेकिन मौका पर मिन वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ल0 16 ने आराजी का अर्सा दराज से बहामी बंटवारा किया हुआ है जिस बहामी बंटवारा में मिन वादीगण के हिस्से आराजी ख0न0 92 हिस्सेनुसार हिस्से आयी हुयी है तथा अन्य आराजी प्रतिवादीगण के हिस्से आयी है तथा मिन वादीगण व प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

स० 1 ल0 16 आराजी पर बहामी बंटवारा अनुसार ही काबिज काश्त है। विवादित आराजी का आज दिन तक विधिक तकासमा नही हुआ है।

3. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉड में मिन वादी व प्रतिवादी स० 1 ल0 16 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज होने का प्रतिवादीगण स० 1 ल० 16 बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी जो मिन वादीगण के हिस्से बहामी बंटवारा में आयी है, पर जबरन कब्जा कर, मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है,, इसलिए मिन वादीगण का अब प्रतिवादीगण के साथ सामलात में काश्त करना सम्भव नही रहा है। इसलिए मिन वादीगण अपने हिस्से दर्ज राजस्व रिकॉड का तकासमा मौका पर बहामी बंटवारा अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा तकासमा पेश किया जाना लाजिमी आया है।

4. यह है कि दिनांक 15/5/2024 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 एकराय होकर मिन वादीगण के हिस्से की आराजी पर आये तथा आकर मिन वादीगण के हिस्सो बहामी बंटवारा में आयी आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया, जिस पर मिन वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण आमादा लडाई झगड़ा हो गये तथा ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि हम किसी बहामी बंटवारा को नही मानते तथा तुम्हारे हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करके रहेगे तथा अपने हिस्से की आराजी को बिना तकासमा कराये ही बेचान कर देगे तथा तुम्हे काश्त नहीं करने देगे। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावी अन्दर अवधि पेश है।

5. यह कि विवादित आराजी राजस्व रिकॉड में मिन यादीगण व प्रतिवादी स० 1 लगायत 16 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है। लेकिन आराजी का अर्सा दराज से बहामी बंटवारा हो रहा है तथा सभी काश्तकार बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, लेकिन प्रतिवादीगण स0 1 ल0 16 सामलाती इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी में मिन वादीगण के हिस्से बहामी बंटवारा में आयी आराजी पर जबरन कब्जा कर, मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है तथा अपने हिस्से की आराजी को बिना तकासमा कराये ही बेचान करना चाहते है, तथा आराजी मिन वादीगण की खातेदारी की होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन वादीगण के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई प्रतिवादी स0 1 ल० 16 द्वारा मिन वादीगण के हिस्से पर जबरन कब्जा कर, मिन वादीगण को आराजी से बेदखल कर दिया तो वादीगण को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नही आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूँकि मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादीगण अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

6. यह है कि दावा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 15/5/2024 को प्रतिवादीगण स0 1 ल० 16 द्वारा विवादित आराजी में वादीगण के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने व ऐलानिया धमकी देने से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

7. यह है कि दावा तकासमा मय हु० ई० दवामी का पेश किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर को पक्षकार बनाया है, जो आवश्यक पक्षकार है परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा० दी० दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ल0 16 द्वारा आराजी बिला तकासमा कराये ही निर्माण करने की ऐलानिया धमकी दी है। इस कारण दावा अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस नही दिया गया है, इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिला नोटिस दिये ही वाद पेश करने की इज्जाजत हेतु अलग से धारा 80 (2) जा० दी० का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ अलग से पेश है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावेः–

(अ) यह है कि डिकी इजाय तकासमा इस अमर की पारित की जाकर विवादित आराजी हाल ख0 नम्बर 92 रकबा 0.35 है0, व ख0 न0 76 रकबा 0.30 है0, व ख0न0 93 रकबा 1.43 है0, वाके ग्राम बडली तह0 मुण्डावर जिला अलवर, हाल जिला खैरथल तिजारा, राज० में मिन वादीगण के हिस्से दर्ज राजस्व रिकॉड का बहामी बंटवारा अनुसार कूरेजात रिर्पोट मंगवायी जाकर, बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे व मिन वादी का खाता अलग कायम किया जाकर, मिन वादी को अलग से दखल दिलाई जावे ।

(ब) यह है कि डिकी हु० ई० दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी वादपत्र के जिम्मननं० 1 में दर्ज वाके ग्राम बडली तह० मुण्डावर में मिन वादीगण के हिस्से की आराजी पर जरबन कब्जा नही करे, ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करे, ना ही आराजी को बिला तकासमा कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, व रिकॉड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(स) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादी को प्रतिवादी सं० 1 ल० 14 से दिलाया जावे।

(द) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत. श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

वादी के वाद को प्रारम्भिक निर्णित किया जाकर विवादित आराजी का कुरेंजात प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया गया। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा कुरेंजात प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2021/10629 दिनांक 22.12.2025 से प्राप्त हुई। पत्रावली शामिल है।

उक्त प्रस्ताव पर पक्षकार उपेन्द्र व राजेन्द्र पुत्र धर्मचन्द जातियान जाट निवासी नांगल बावला द्वारा उज्रर प्रार्थना पत्र पेश किया। जो निम्न प्रकार से है :–

1. यह है कि न्यायालय श्रीमान मे विवादित खसरा नं0 92 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नं0 76 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं0 93 रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर की कुरे रिपोर्ट पेश की गयी है।

सहायक कलेक्टर (फा०ट्र०), मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 9 का खसरा नं0 92 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नं0 76 रकबा 0.30 हैक्टर में 1/4 हिस्सा है।
3. यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 9 को कुरे रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं0 92 से नम्बर अलग कर 92/1 रकबा 0.16 हैक्टर दिया गया है जिसके चारो तरफ बाउंड्री वाल है और खेत में घुसने के लिये कोई रास्ता नही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पुनः कुरेजात रिपोर्ट मंगवायी जाकर खसरा नं0 92 रकबा 0.35 हैक्टर का 1/4 भाग और खसरा नं0 76 रकबा 0.30 हैक्टर का 1/4 भाग के प्रतिवादी संख्या 3 व 9 के हिस्से में किया जावे।

प्रार्थी पक्ष (उपेन्द्र व राजेन्द्र) की संक्षिप्त बहस

1. प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आदरपूर्वक निवेदन किया गया कि
2. यह कि न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट विधि व न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है।
3. यह कि प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 3 व 9 हैं, जिनका खसरा नं. 92 रकबा 0.35 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 76 रकबा 0.30 हैक्टेयर में 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज है।
4. यह कि कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को खसरा नं. 92 से पृथक कर 92/1 रकबा 0.16 हैक्टेयर आवंटित किया गया है, जो चारों ओर से अन्य खातेदारों की भूमि से घिरा हुआ है तथा आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
5. यह कि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा का मूल उद्देश्य प्रत्येक खातेदार को सुविधाजनक, उपयोगी एवं स्वतंत्र पहुँच वाली भूमि प्रदान करना है, न कि ऐसे टुकड़े देना जो व्यावहारिक उपयोग के अयोग्य हों।
6. यह कि कुर्रेजात रिपोर्ट में खसरा नं. 76 के हिस्से का समुचित समायोजन नहीं किया गया, जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है।
7. अतः निवेदन है कि वर्तमान कुर्रेजात रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जाए, तथा खसरा नं. 92 व 76 दोनों से 1/4 – 1/4 हिस्सा मिलाकर प्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा तकासमा किया जाए जिससे रास्ता, समुचित आकार व कृषि उपयोग संभव हो।

अप्रार्थी पक्ष (वादीगण) की संक्षिप्त बहस

1. अप्रार्थी/वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर में निवेदन किया गया कि
2. यह कि तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, राजस्व नियमों के अनुसार एवं स्थल निरीक्षण के पश्चात तैयार की गई है।
3. यह कि प्रत्येक खातेदार को उसके हिस्से के अनुपात में भूमि आवंटित की गई है तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से के अनुरूप खसरा नं. 92/1 रकबा 0.16 हैक्टेयर दिया गया है।
4. यह कि मात्र यह कहना कि भूमि चारों ओर से घिरी है, कुर्रेजात रिपोर्ट को निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है, क्योंकि रास्ते का प्रश्न पृथक राजस्व कार्यवाही का विषय है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (स्टेशन-किशनगढ़)

5. यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उज्र प्रार्थना पत्र केवल मुकदमे को लंबित रखने एवं तकासमा प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न करने हेतु दायर किया गया है।
6. यह कि यदि प्रत्येक खातेदार अपनी सुविधा अनुसार पुनः–पुनः कुर्रेजात की मांग करेगा, तो तकासमा की कार्यवाही कभी पूर्ण नहीं हो सकेगी।
7. अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का उज्र प्रार्थना पत्र निराधार व असंगत होने से खारिज किया जाए तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अन्तिम डिक्री की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए।

न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया तथा प्रार्थी (आपत्तिकर्ता) एवं अप्रार्थी / वादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। यह तथ्य विवादित नहीं है कि विवादित आराजियाँ ग्राम बडली, तहसील मुण्डावर स्थित हैं तथा सभी पक्षकारों के नाम राजस्व अभिलेखों में सामलात खातेदारी में अंकित हैं। न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार मुण्डावर द्वारा स्थल निरीक्षण, अभिलेख परीक्षण एवं राजस्व नियमों के अनुरूप कुर्रेजात प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार यह है कि उन्हें आवंटित भूमि चारों ओर से घिरी हुई है तथा उसमें रास्ते की सुविधा नहीं है। किंतु मात्र इस आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट को अवैध अथवा दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। यह स्थापित विधि सिद्धान्त है कि तकासमा कार्यवाही में प्रत्येक खातेदार को उसके हिस्से के अनुपात में भूमि आवंटित किया जाना आवश्यक है, न कि उसकी व्यक्तिगत सुविधा के अनुसार।

न्यायालय का यह भी मत है कि रास्ते अथवा आवागमन संबंधी विवाद पृथक राजस्व कार्यवाही का विषय हो सकता है, परन्तु वह वर्तमान तकासमा वाद में कुर्रेजात रिपोर्ट को निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है। प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र से यह भी प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य तकासमा की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबित रखना है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव रिपोर्ट विधि, नियम एवं न्यायसंगत आधारों पर तैयार की गई है तथा आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र निराधार एवं असंगत है। फलस्वरूप, आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

वाद वादी के उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा राज0 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 93/1.40, 92/0.35, 76/0.30 है0 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में "प्रदर्श–अ" के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को पृथक पृथक अमल दरामद, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे। अन्तिम पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

सहायक कलक्टर (फ...)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
110 / 2024	27.05.2024	13.01.2026

बउनवान

1. सचिन कुमार पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: वादी

बनाम

1. महासिंह पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी बडली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. अमरसिंह पुत्र मूसला जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. जोगेन्द्र पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
4. भूपेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
5. श्योराम पुत्र श्री बुधा जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. संतरा पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
7. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

श्री सीताराम चौधरी :– वकील वादी
श्री अशोक चौधरी :– वकील प्रतिवादी

दावा –: अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
111 / 2024	27.05.2024	13.01.2026

बउनवान

1. अमरसिंह पुत्र मूसला जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2. श्योराम पुत्र बुद्दा पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: वादी

बनाम

1. महासिंह पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी बडली की ढाणी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. आशा पुत्री सुरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. उपेन्द्र पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी नांगल बावला तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. जोगिन्द्र पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
5. दिनेश सिंह पुत्र सूरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. धनसिंह पुत्र सूरजसिंह जाति जाट निवासी खण्डेवला तह0 फरूखनगर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. भूपेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तह0 फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
8. मोहनलाल पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी नांगल बावला तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. राजेन्द्र पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी नांगल बावला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. लहरी पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. सन्तरा पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
12. सुनिता पुत्र सूरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
13. सरबती पत्नी सुरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
14. साधू पुत्र रामेदवा जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. मातादीन पुत्र मूसला जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
16. सचिन कुमार पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
18. श्रीमान उप पंजियक महोदय, उप पंजियक मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

दावा –: अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सीताराम चौधरी
श्री रामावतार चौधरी, श्री अशोक चौधरी

दावा तकासमा मय हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

इस वाद में आज दिनांक 13.01.2026 को सृष्टि जैन उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा राज0 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 93/1.40, 92/0.35, 76/0.30 है0 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में "प्रदर्श–अ" के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को पृथक पृथक अमल दरामद, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

सहायक कलक्टर (फ0मु0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	प्रारम्भिक पर्चा डिक्री दिनांक
110/2024	27.05.2024	20.08.2024

बउनवान

1. सचिन कुमार पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

वादी

बनाम

1. महासिंह पुत्र श्री श्योराम जाति जाट निवासी बडली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. अमरसिंह पुत्र मूसला जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. जोगेन्द्र पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
4. भूपेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
5. श्योराम पुत्र श्री बुधा जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. संतरा पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
7. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

श्री सीताराम चौधरी :– वकील वादी
श्री अशोक चौधरी :– वकील प्रतिवादी

दावा –: अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या	दायर दिनांक	प्रारम्भिक पर्चा डिक्री दिनांक
111/2024	27.05.2024	20.08.2025

बउनवान

1. अमरसिंह पुत्र मूसला जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. श्योराम पुत्र बुद्वा पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0।

वादी

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

बनाम

1. महासिंह पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी बडली की ढाणी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. आशा पुत्री सुरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. उपेन्द्र पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी नांगल बावला तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. जोगिन्द्र पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
5. दिनेश सिंह पुत्र सूरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. धनसिंह पुत्र सूरजसिंह जाति जाट निवासी खण्डेवला तह0 फरूखनगर जिला खैरथल तिजारा राज0।
7. भूपेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तह0 फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
8. मोहनलाल पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी नांगल बावला तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
9. राजेन्द्र पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी नांगल बावला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
10. लहरी पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. सन्तरा पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी खण्डेवला तहसील फरूखनगर जिला गुरूग्राम हरि0।
12. सुनिता पुत्र सूरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
13. सरबती पत्नी सुरजसिंह जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
14. साधू पुत्र रामेदवा जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. मातादीन पुत्र मूसला जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
16. सचिन कुमार पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी बडली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
18. श्रीमान उप पंजियक महोदय, उप पंजियक मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा —: अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

श्री सीताराम चौधरी
श्री रामावतार चौधरी, श्री अशोक चौधरी

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

—: प्रारम्भिक पर्चा डिक्री :—

श्रीमती सृष्टि जैन, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **प्रारम्भिक पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :—**

न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा में स्थित भूमि आराजी ख0 नं0 93 रकबा 1.40, 92/0.35, 76/0.30 है0 में वादी व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो कि वे विभाजन प्रस्ताव अच्छा से बुरा से बुरा एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत् रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी 24.09.2025 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये।

यह प्रारम्भिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0